



2026:AHC:10304

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 348 वर्ष 2026

पूजा गुप्ता

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	प्रियव्रत त्रिपाठी, सुमित गुप्ता
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री प्रियव्रत त्रिपाठी, ने निवेदन किया है कि चूंकि अनुकंपा नियुक्ति की मांग प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक से की गई है, अतः यह रिट याचिका इस स्वतंत्रता के साथ खारिज की जाती है कि वे इस मामले पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर सकते हैं।
2. विद्वान शासकीय अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. रिट याचिका को, जैसा कि ऊपर कहा गया है, स्वतंत्रता के साथ वापस लिया गया मानकर खारिज किया जाता है।

जनवरी 16, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)